

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

कालूराम पिता जोदू माली नि. उँचा

बनाम

खेमराज पिता गोपाल माली नि. उँचा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 82/21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुवे
05.11.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम उँचा प. ह. उँचा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 754/4 रकबा 0.13 बीघा, आ.न. 777/4 रकबा 0.10 बीघा कुल कित्ता 02 रकबा 01.03 बीघा स्थित है। उक्त कृषि आराजी के अप्रार्थीगण पडौसी होकर उनको अपनी अपनी अराजी का सही सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण आये दिन फसल की बुआई कटाई के समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बन्ध 2070 से 2073 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडौसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम उँचा प. ह. उँचा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 754/4 रकबा 0.13 बीघा, आ.न.777/4 रकबा 0.10 बीघा कुल कित्ता 02 रकबा 01.03 बीघा की बसामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मीके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 05.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)